संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
म.प्र.

क्रमांक / अस्प.प्रशा. / 2014 / 411 5 भोपाल, दिनांक 25 / 2 / 2014

प्रति,

1.समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
2.समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
मध्यप्रदेश।

विषयः–प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अध्यक्ष में गठित समिति की दिनांक 24.2.2014 को प्रातः 12.00 बजे सम्पन्न बैठक का कार्यवाही विवरण।

––00––

दिनांक 24 / 02 / 2014 को मान्नीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेन्ट्रल जोन बेंच भोपाल के आदेश दिनांक 12.2.2014 के परिपालन में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्री प्रवीर कृष्ण की अध्यक्षता में अध्यक्ष म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड डॉ0 एन.पी.शुक्ला, संचालक स्वास्थ्य सेवायें,क्षेत्रीय संयुक्त संचालक भोपाल, उप सचिव, गैस राहत एवं पुर्नवास विभाग, भोपाल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वा.अधिकारी, भोपाल, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, भोपाल, संचालनालय स्वास्थ्य तथा म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई।

बैठक में प्रदेश के समस्त शासकीय व अशासकीय चिकित्सालयों में उत्पन्न हो रहे बायो मेडिकल वेस्ट के सकत्रीकरण, स्टोरेज तथा निष्पादन की स्थिति एवं इस संबंध में आ रही समस्याओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई तथा चिकित्सालयों में उत्पन्न हो रहे बायो मेडिकल वेस्ट के लिये म.प्र. बायो मेडिकल वेस्ट (मेनेजमेन्ट एवं हेण्डलिंग) नियम 1998 के प्रावधानों को सख्तीपूर्वक लागू करने के लिये निर्णय लिये गये। इसमें कई गतिविधियां एवं कार्य आपके स्तर से की जाना है एवं जिनके लिये आप पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं।

बैठक का कार्यवाही विवरण सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः–कार्यवाही विवरण (7 पृष्ठ)

संचालक स्वास्थ्य सेवायें
(अ.प्र.)
भोपाल,मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक / अस्प.प्रशा. / 2014 / भोपाल, दिनांक /02 /2014

पृष्ठां क्रमांक अस्प.प्रशा./सेल-5/2014/416 भोपाल दिनांक 25/2/2014

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1) प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल, म.प्र.।
2) डॉ.एन.पी.शुक्ला, अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।
3) आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र, भोपाल।
4) मिशन संचालक, एन.आर.एच.एम, बैंक ऑफ इंडिया भवन, तृतीय मंजिल, अरेरा हिल्स, भोपाल।
5) समस्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये, भोपाल, म.प्र.।
6) समस्त क्षेत्रीय संयुक्त संचालक,म.प्र.।

O/c संचालक स्वास्थ्य सेवायें
(अ.प्र.)
भोपाल,मध्यप्रदेश

विषयः– प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अध्यक्ष में गठित समिति की दिनांक 24.2.2014 को प्रातः 12.00 बजे सम्पन्न बैठक का कार्यवाही विवरण।

सन्दर्भः– मान्नीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेन्ट्रल जोन बेंच भोपाल के आदेश दिनांक 12.2.2014 ।

– लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक 224/310/14/सत्रह/मेडि–दो भोपाल दिनांक 21.2.2014

कार्यवाही विवरण

मान्नीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेन्ट्रल जोन बेंच भोपाल के आदेश दिनांक 12.2.2014 के अनुक्रम में शासकीय चिकित्सालयों में नियमों के पालन के संबंध में श्री.प्रवीर कृष्ण, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अध्यक्षता में एवं डॉ0 एन.पी.शुक्ला, अध्यक्ष, म.प्र. प्रदू ण नियंत्रण बोर्ड की उपस्थिति में दिनांक 24.2.2014 को प्रातः 12.00 बजे मंत्रालय स्थित कक्ष क्रमांक 325 में बैठक सम्पन्न हुई । इस बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे–

1. डॉ.के.के.ठस्सू –संचालक स्वास्थ्य सेवायें (अ.प्र.), म.प्र.
2. डॉ.के.के.दुबे –उप सचिव,गैस राहत एवं पुर्नवास चिकित्सालय, भोपाल
3. डॉ.एच.आर.जांगड़े –क्षेत्रीय संयुक्त संचालक, भोपाल संभाग
4. श्री आर.के श्रीवास्तव –एस.ई.,म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण मंडल
5. डॉ.एस.पी.सिंह –उप संचालक, लीगल, संचालनालय स्वा.से.,भोपाल
6. डॉ.पंकज शुक्ला –मुख्य चिकित्सा एवं स्वा.अधिकारी, भोपाल
7. डॉ.वीणा सिन्हा –सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, भोपाल
8. डॉ. माजिद कुरेशी –कनिष्ठ वैज्ञानिक, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल
9. श्री राकेश श्रीवास्तव, –अधीक्षण यंत्री, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल
10. श्री राकेश पाण्डे, –कार्यपालन यंत्री, राजधानी परियोजना प्रशासन भोपाल

बैठक में प्रदेश के सभी चिकित्सालयों में उत्पन्न हो रहे बायो मेडिकल व अन्य वेस्ट के समुचित व नियमानुसार निष्पादन व इस संबंध में आ रही समस्याओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई।

बैठक के प्रारम्भ में अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बताया गया कि

– जीव चिकित्सा अपशिष्ठ नियम 1998 के अनुसार सभी चिकित्सा संबंधी संस्थानों को वैद्य संचालन के लिये म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त करना तथा उसका सतत् नवीनीकरण कराया जाना वैधानिक आवश्यकता है ।

- उक्त सभी संस्थानों को जैविक ठोस अपशिष्ठ के निष्पादन के लिये वांछित व्यवस्था के अन्तर्गत उपयुक्त निपटान सुविधा जो सामान्यतः संयुक्त जीव चिकित्सा अपशिष्ठ निपटान व्यवस्था (सीबीडबॅल्यूटीएफ) के रूप में म.प्र. के 14 स्थानों पर कार्यरत हैं, का सदस्य होना आवश्यक है व तदनुसार पर्यावरणीय दृष्टि से अपशिष्ठ का सुरक्षित निष्पादन अनिवार्य है ।

- अस्पतालों से निकलने वाले लिक्विड वेस्ट का उपचार तथा पर्यावरणीय दृष्टि से सुरक्षित निपटान वैधानिक आवश्यकता है ।

- उपरोक्त के लिये अस्पतालों में एवं चिकित्सा संबंधी अन्य इकाईयों में उपरोक्त नियम में दी गई श्रेणियों में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का एकत्रीकरण, पृथककरण, परिवहन, भण्डारण व निपटान किया जाना अनिवार्य है । (इस हेतु विशेषकर कलर कोडेड कन्टेनर व स्टोरेज हेतु सुरक्षित स्थल चिन्हित किया जाना आवश्यक होगा)

- उक्त नियम के अनुसार प्रत्येक चिकित्सा संस्थान को प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी तक निर्धारित प्रपत्र में वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

- अस्पतालों में प्रयुक्त थर्मामीटर, व अन्य चिकित्सकीय उपकरणों में प्रयुक्त मरकरी के अपशिष्ठ के रूप में निकलने की स्थिति में उनका प्रबंधन खतरनाक अपशिष्ठ नियम 2008 के अनुरूप किया जाना अनिवार्य है ।

- अस्पतालों से उतपन्न विशिष्ठ अपशिष्ठों के रूप में सीरिंज, प्लास्टिक बोतलें, आईवी सेट इत्यादि का अवैधानिक पुर्नउपयोग/रीसायकलिंग रोकने के लिये वांछित उपाय किया जाना आवश्यक है ।

- जैव चिकित्सा अपशिष्ठ को किसी भी परिस्थिति में नगर निगम के द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ठ के लिये बनाई गई व्यवस्था में निष्पादति होने से रोकने के उपाय किये जाना आवश्यक हैं ।

- अस्पतालों के इन्फेक्टेड कपड़ों (बैडशीट, एप्रोन, कम्बल इत्यादि) की धुलाई से उत्पन्न संक्रमित दूषित जल हेतु अस्पतालों में व्यवस्था होना अनिवार्य है अथवा जिन संस्थानों को ये वस्त्र धोने हेतु दिये जाते हैं उनको म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार/सम्मति प्राप्त करना अनिवार्य है ।

अध्यक्ष प्रदूषण नियंत्रण मंडल को संचालक स्वास्थ्य सेवायें द्वारा बताया गया कि संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें द्वारा प्रदेश के सभी शासकीय चिकित्सालयों में वहां उत्पन्न हो रहे बायो मेडिकल वेस्ट के, म.प्र. बायो मेडिकल वेस्ट (मेनेजमेन्ट एवं हेण्डलिंग) नियम 1998 के प्रावधानों के अनुसार निष्पादन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश समय–समय पर जारी किये गये हैं तथा प्रदेश के मुख्य चिकित्सा एवं स्वा.अधिकारियों एवं सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधिक्षकों को उनकी स्थापना के सभी चिकित्सालयों में उपरोक्त नियमों के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

संचालक स्वास्थ्य सेवायें द्वारा यह भी बताया गया कि बायो मेडिकल वेस्ट (मेनेजमेन्ट एवं हेण्डलिंग) नियम 1998 के अनुसार म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रिस्क्राईब्ड अथॉरिटि घोषित किया गया है तथा प्रत्येक चिकित्सालय के ऑक्यूपायर/ऑपरेटर को उनके चिकित्सालय में नियमानुसार निष्पादन के लिये जिम्मेवार बनाया गया है। यदि किसी ऑक्यूपायर द्वारा नियमानुसार बायो मेडिकल वेस्ट का निष्पादन नहीं किया जा रहा तो उनके विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के अधिकार म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नियमों में प्रदत्त किये गये हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस हेतु प्रतिवर्ष ऑथोराईजेशन फीस प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में प्रतिवर्ष लगभग 28 लाख रूपये जमा कराई जाती है तथा प्रत्येक जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वा.अधिकारी तथा सिविल सर्जन को उनकी स्थापना के चिकित्सालयों में नियमानुसार बायो मेडिकल वेस्ट के निष्पादन हेतु राशि आबंटित की जाती है।

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष श्री एन.पी.शुक्ला द्वारा बताया गया कि प्रदेश के सभी चिकित्सालयों में प्राथमिकता के आधार पर एन्विरान्मेन्ट सेल का गठन किया जाये जिसमें तीन वरिष्ठ चिकित्सक सदस्य हों। इस सेल पर उनके चिकित्सालय में उत्पन्न होने वाले बायो मेडिकल वेस्ट के नियमानुसार निष्पादन कराने की जिम्मेदारी होगी तथा इसकी सतत समीक्षा इस सेल के द्वारा की जायेगी।

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष श्री एन.पी.शुक्ला द्वारा यह जानकारी भी दी गई कि प्रदेश के कई चिकित्सालयों /चिकित्सा संस्थाओं द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ऑथोराईजेशन प्राप्त करने के लिये आवेदन नहीं किया गया है। **प्रमुख सचिव स्वास्थ्य द्वारा निर्देशित किया गया कि–**

1. **प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वा.अधिकारियों एवं सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षकों को तत्काल निर्देश जारी करें कि उनकी स्थापना के सभी चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थाओं के लिये विधि सम्मत ऑथोराईजेशन प्राप्त करने तथा तद्नुसार म.प्र. बायो मेडिकल वेस्ट (मेनेजमेन्ट एवं हेण्डलिंग) नियम 1998 के प्रावधानों के अनुसार निष्पादन करने की पूरी जिम्मेदारी उनकी है तथा इस हेतु उनके संभाग/जिले के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों से निर्धारित प्रपत्र में एक सप्ताह में अनिवार्य रूप से आवेदन करें। (कार्यवाही–संचालक स्वा.सेवायें तथा समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी एवं समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्प.अधीक्षक)**
2. **चिकित्सा संस्थाओं में इस हेतु निरीक्षण पर आने वाले म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को पूर्ण सहयोग प्रदान करें तथा उनके द्वारा इंगित की जाने वाली कमियों को प्राथमिकता के आधार पर ठीक करें।(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी एवं समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्प.अधीक्षक)**

अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यह भी बताया गया कि

- मान्नीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी की जिस निरीक्षण रिपोर्ट पर विशेष संज्ञान लिया है उसमें उठाये गये बिन्दुओं पर तत्काल कार्ययोजना बनाकर कार्यवाही करना आवश्यक होगा ।

- उप सचिव गैस राहत द्वारा बताया गया कि गैस राहत विभाग के चिकित्सालयों में बायो मेडिकल वेस्ट के नियमानुसार निष्पादन के संबंध में कार्यवाही की गई है तथा

इन चिकित्सालयों में नियमों के अनुसार बायो मेडिकल वेस्ट का निष्पादन किया जा रहा है। **प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि इस संबंध में श्री नीरज पांडे , एक्जीक्यूटिव इंजिनियर प्रदेश के सभी 51 जिलों के जिला चिकित्सालयों एवं अन्य चिकित्सा संस्थाओं में म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी की जिस निरीक्षण रिपोर्ट में उठाये गये बिंदुओं पर कार्यवाही करने हेतु सात दिन में एक कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करेंगें। (कार्यवाही–श्री नीरज पांडे, एक्जीक्यूटिव इंजिनियर)**

– बोर्ड के रिकार्ड के अनुसार लगभग 1229 शासकीय चिकित्सा संस्थानों को तत्काल जैव चिकित्सा अपशिष्ठ नियम के अन्तर्गत प्राधिकार प्राप्त करना है । इस हेतु प्रत्येक चिकित्सा संस्थान प्रभारी को स्वयं निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना आवश्यक है ।

प्रमुख सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि –

- संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा सभी चिकित्सा संस्थानों को निर्देश देकर 10 दिवस की अवधि में अनिवार्य रूप से प्राधिकार प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रपत्र में विधिसम्मत आवेदन, प्रावधानों के अनुपालन में उठाये गये कदमों की जानकारी व कमियों में सुधार के लिये अधिकतम 3 माह में कार्यवाही करने हेतु कार्ययोजना बनाकर लागू करने के निर्देश तत्काल जारी करें। की जाने वाली कार्यवाही की प्रगति हेतु सतत् मॉनीटरिंग व्यवस्था संचालनालय में स्थापित की जाये ।**(कार्यवाही– संचालक स्वास्थ्य सेवायें एवं समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारियों एवं समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्प.अधिक्षक)**
- सभी चिकित्सालयों को उक्त नियम लागू होने के वर्ष 1998 अथवा इसके बाद चिकित्सा संस्थान के शुरू होने की तिथि से अभी तक प्राधिकरण शुल्क जमा करने के लिये निर्देशित किया जाये । उल्लेखनीय है कि संचालनालय द्वारा वर्ष 2008–09 से बाद की अवधि का दिया गया है जबकि यह शुल्क वर्ष 1998/प्रारम्भ करने की तिथि से अनिवार्य है ।
- **प्रमुख सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल, म.प्र.के अधिकारी इस संबंध में बकाया प्राधिकरण शुल्क की राशि जमा कर संचालक चिकित्सा सेवायें को मांग प्रेषित करें ताकि तद्नुसार बकाया राशि के भुगतान हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जाये।(कार्यवाही –म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एंव संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें)**
- सभी चिकित्सा संस्थानों को वर्ष 2020 तक संबंधित उपकरणों से मरकरी को फेस आउट किया जाना है। **(प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि संचालनालय स्वा.सेवायें से सिविल सर्जन/मुख्य चिकित्सा एवं स्वा.अधिकारियों को जारी किया जाये।)(कार्यवाही–संचालक स्वास्थ्य सेवायें)**
- वर्तमान में जय प्रकाश अस्पताल भोपाल के प्राधिकार की वैद्यता वर्ष 2012 में समाप्त हो चुकी है, चिकित्सा अपशिष्ठ सम्पूर्ण मात्रा में सीबीडबल्यूटीएफ भोपाल

इन्सीनिरेटर में नहीं भेजकर कुछ मात्रा में नगर निगम के कचरा कन्टेनरों में भेजा जा रहा है । कचरे का सकत्रीकरण तथा स्टोरेज व्यवस्था में सुधार आवश्यक है ।

प्रमुख सचिव द्वारा सिविल सर्जन भोपाल को निर्देश दिये गये कि इस संबंध में तत्काल निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर म.प्र.प्रदूषण बोर्ड से प्राधिकार की वैद्यता प्राप्त करने के लिये आवेदन कर प्राधिकार प्राप्त करें।(कार्यवाही सिविल सर्जन, भोंपाल)

- उल्लेखनीय है कि काटजू अस्पताल, टी.वी. अस्पताल इत्यादि के द्वारा अभी तक या तो प्राधिकार प्राप्त नहीं किया गया है अथवा जो प्राधिकार पूर्व में प्राप्त किया गया है उसका अद्यतन अवधि हेतु नवीनीकरण नहीं कराया गया है ।

प्रमुख सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि इस संबंध में संबंधित चिकित्सालयों के प्रभारी अधिकारियों को निर्देश जारी करें कि वे तत्काल निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर म.प्र.प्रदूषण बोर्ड से प्राधिकार की वैद्यता प्राप्त करने के लिये आवेदन कर प्राधिकार प्राप्त करें। (कार्यवाही अधीक्षक टी बी अस्पताल एवं अधीक्षक के.एन. के चिकित्सालय भोंपाल)

चर्चा के दौरान अध्यक्ष म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा यह बताया गया कि निजी चिकित्सालयों में उनके अधिकारी उपरोक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार निष्पादन किया जा रहा है अथवा नहीं इसके लिये नियमित रूप से निरीक्षण करते हैं तथा कोई कमी पाये जाने पर उसमें सुधार हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये जाते हैं। इन निजी चिकित्सालयों/नर्सिंग होम्स में बायो मेडिकल वेस्ट (मेनेजमेन्ट एवं हेण्डलिंग) नियम 1998 के प्रावधानों के अनुसार सुविधायें /व्यवस्था उपलब्ध है अथवा नहीं इसके लिये आवश्यक प्रावधान /दस्तावेज पाये जाने पर ही जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वा.अधिकारी द्वारा निजी चिकित्सालय/नर्सिंग होम का पंजीकरण/पंजीकरण का रीन्यूअल किया जाये।

प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारियों को यह निर्देश जारी किये जायें कि वे उनके जिलों के सभी निजी चिकित्सा संस्थानों का पंजीकरण करने के पूर्व यह सुनिश्चित करें कि वे चिकित्सालय म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्राधिकार/नवीनीकरण, सीबीडबल्यूटीएफ की सदस्यता, ईटीपी की स्थापना, एन्वायरमेंटल प्रकोष्ठ के गठन आदि के संबंध में कार्यवाही पूर्ण कर चुके हैं। **(कार्यवाही–संचालक स्वास्थ्य सेवायें व समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी)**

प्रमुख सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि–

- चिकित्सालयों में उत्पन्न होने वाले बायो मेडिकल वेस्ट के नियमानुसार निष्पादन के कार्य की मॉनीटरिंग समस्त जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वा.अधिकारी तथा सिविल सर्जन सह मुख्य अस्प.अधीक्षक को दिन–प्रतिदिन के आधार पर करनी होगी तथा इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर किया जाना है। उन्होंने निर्देश दिये कि बायो मेडिकल वेस्ट (मेनेजमेन्ट एवं हेण्डलिंग) नियम 1998 संबंधी कार्य की मॉनिटरिंग को ई–मॉनिटरिंग में शामिल किया जाये ताकि इसकी सतत

निगरानी की जा सके। पूरे प्रदेश में इस हेतु एक अभियान चला कर कार्यवाही आरंभ की जाये तथा आगामी तीन माह के अंदर प्रदेश के सभी शासकीय चिकित्सालयों में नियमानुसार बायो मेडिकल वेस्ट के निष्पादन का कार्य आरंभ कर लिया जाये। यदि समय–सीमा में किसी संस्था में नियमानुसार बायो मेडिकल वेस्ट के निष्पादन की प्रक्रिया आरंभ नहीं की जाती है तो संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्प.अधीक्षक व चिकित्सा संस्थाओं के प्रभारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगें। **(कार्यवाही – समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्प.अधीक्षक व अन्य चिकित्सा संस्थाओं के प्रभारी)**

- मध्य प्रदेश में जेपी अस्पताल भोपाल को जैव चिकित्सा अपशिष्ठ प्रबंधन के प्रावधानों के अनुरूप एक आदर्श मोडल के रूप में विकसित किया जाये एवं समस्त प्रदेश की इकाईयों में तद्नुसार यथाअनुरूप लागू किया जाये ।(कार्यवाही–सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, भोपाल)
- सभी चिकित्सा संस्थानों को म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकृत संयुक्त जीव चिकित्सा अपशिष्ठ अपवहन व्यवस्था (सीबीडबल्यूटीएफ) की सदस्यता 15 दिवस के अन्दर प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया जाये । **(कार्यवाही – संचालक स्वा.सेवायें, समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्प.अधीक्षक)**
- सभी चिकित्सा संस्थानों के लिक्विड वेस्ट के डिस–इन्फेक्शन एवं उचित उपचार हेतु उपचार व्यवस्था गैस राहत विभाग द्वारा की गई व्यवस्था के अनुरूप स्थापित करने हेतु कार्य योजना तैयार की जाये तथा प्रथम चरण में प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों में व्यवस्था बनाई जाये। प्रदेश के सिविल अस्पतालों एवं अन्य चिकित्सालयों में द्वितीय चरण में व्यवस्था बनाई जाये। **(कार्यवाही–श्री नीरज पांडे , एक्जीक्यूटिव इंजिनियर)**
- समस्त चिकित्सा संस्थानों को म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में ऑन लाईन आवेदन करने के लिये आईडी, पासवर्ड बोर्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से सम्पर्क कर प्राप्त करने हेतु संबंधितों को निर्देशित करें।**(कार्यवाही–संचालक स्वास्थ्य सेवायें)**
- म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से इस संबंध में विस्तृत गाईड लाईन बनाकर संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को प्रस्तुत की जाये एवं उनके द्वारा सभी इकाईयों को लागू करने हेतु संबंधितों को भेजा जाये ।**(कार्यवाही–म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)**
- सभी चिकित्सा संस्थानों को कपड़ों की धुलाई हेतु मेकेनाईग्ज्ड लाउन्ड्री पर्यावरणीय मानकों के अनुसार या तो चिकित्सा संस्थान में स्थापित करना होगा अथवा ऐसे संस्थान को धोने हेतु देना होगा जो म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकृत हों । इस हेतु म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उनके द्वारा जारी दिशा निर्देश एवं विभिन्न जिलों के लिये इस कार्य हेतु अधिकृत ऐजेन्सी की जानकारी संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

को एक सप्ताह में उपलब्ध करवायें।**(कार्यवाही–म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संचालनालय स्वा.सेवायें)**

- संचालनालय के स्तर पर पर्यावरणीय सेल की स्थापना संचालक की अध्यक्षता में 3 दिवस के अन्दर की जाये । जिसमें अन्य सदस्य के रूप में उप संचालक व अन्य सदस्य रखे जायें ।**(कार्यवाही–संचालक स्वास्थ्य सेवायें)**
- प्रत्येक चिकित्सा संस्थान में भी पर्यावरणीय प्रकोष्ठ की स्थापना की जाये। **इस हेतु सभी जिलों में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की अध्यक्षता में एक सेल पूरे जिले की स्वास्थ्य संस्थाओं में उत्पन्न हो रहे बायो मेडिकल वेस्ट की समुचित निगरानी हेतु एक सेल गठित किया जाये।**

  इसी प्रकार जिला चिकित्सालय एवं अन्य सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में सिविल सर्जन/संस्था प्रभारी की अध्यक्षता में सेल का गठन किया जाये।(कार्यवाही–संचालक स्वास्थ्य सेवायें,म.प्र.)
- सभी चिकित्सा संस्थानों को अपशिष्ठ के वर्गीकरण अनुसार कलर कोडेड कन्टेनर व उपयुक्त स्थल की स्थापना संबंधी कार्यवाही 15 दिवस में पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया जाये ।**(कार्यवाही–संचालक स्वास्थ्य सेवायें,म.प्र.)**
- संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रभारी अधिकारी से सतत् समन्वय कर मॉनीटरिंग व्यवस्था स्थापित करें ताकि दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सके । इस हेतु संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें एवं म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी समन्वय कर कार्यवाही करें। **(कार्यवाही–संचालनालय स्वा.सेवायें(अस्प.प्रशा.) एवं म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी)**
- म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार निरीक्षण में पाई गई कमियों के सुधार हेतु कार्ययोजना बनाकर जे.पी. अस्पताल भोपाल लागू करेगा व एक्शन टेकन रिपोर्ट संचालनालय व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 10 दिवस में प्रस्तुत करेगा । **(कार्यवाही–सिविल सर्जन जे.पी.अस्पताल, भोपाल)**

- प्रदेश के सभी जिलों में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों से समन्वय कर जिले में स्थित निजी चिकित्सालयों/नर्सिंग होम्स का निरीक्षण करें एवं बायो मेडिकल वेस्ट (मेनेजमेन्ट एवं हेण्डलिंग) नियम 1998 के प्रावधानों के अनुसार सुविधायें /व्यवस्था उपलब्ध है अथवा नहीं इसके लिये आवश्यक प्रावधान /दस्तावेज पाये जाने पर ही जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वा.अधिकारी द्वारा निजी चिकित्सालय/नर्सिंग होम का पंजीकरण/पंजीकरण का रीन्यूअल किया जाये। **(कार्यवाही–मुख्य चिकित्सा एवं स्वा.अधिकारी तथा समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक)**